



# माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-गेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
कार्या :-(0755) 2551166-71(111)

क्रमांक/गोपनीय-समन्वय/756/2022  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/8 /2022

1. प्राचार्य  
समस्त शास. जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थायें,  
मध्यप्रदेश।
2. समस्त अशासकीय मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थायें  
मध्यप्रदेश।

विषय:-वर्ष 2022 डी.एल.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा विषयक।

डी.एल.एड.प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष 2022 के समस्त शास./अशा. मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सैद्धांतिक/व्यावहारिक परीक्षाओं के आन्तरिक मूल्यांकन एवं अध्यापन अभ्यास प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने की निम्नानुसार तिथियां घोषित की जाती है :-

क्र.	परीक्षा एवं विषय	अंक प्रदाय करने हेतु अधिकृत माध्यम	ऑनलाईन अंक की प्रविष्टि की अंतिम तिथि
1	(अ)प्रथम वर्ष सैद्धांतिक का आन्तरिक मूल्यांकन व्यवहारिक का आंतरिक मूल्यांकन।	शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/सुविधा केन्द्र/महाविद्यालय	30/09/2022
	(ब) इन्टर्नशिप का आंतरिक मूल्यांकन। द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिये।	शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/सुविधा केन्द्र/महाविद्यालय	30/09/2022
2	डी.एल.एड. प्रथम वर्ष शिक्षण अभ्यास डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष शिक्षण अभ्यास एवं प्रायोगिक	बाह्य प्रायोगिक परीक्षा 07/09/2022 से 28/09/2022 के मध्य मण्डल द्वारा किये गये रेण्डमाइजेशन के अनुसार बाह्य परीक्षकों द्वारा	03/10/2022

उपरोक्त समयसारिणी के आधार पर परीक्षायें सम्पन्न कराते हुये अंकों के प्रेषण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक का आन्तरिक मूल्यांकन छात्र की अध्ययनरत संस्था में सम्पन्न कराई जाना है।
2. अध्यापन अभ्यास एवं प्रायोगिक परीक्षा बाह्य परीक्षकों के माध्यम से सम्पन्न की जावेगी। बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा शास. शिक्षा महाविद्यालयों/शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं/शास.शालाओं में कार्यरत प्राचार्य/ व्याख्याता जो एम.एड./बी.एड. प्रशिक्षित है जिनका ऑनलाईन पंजीयन कराया गया है इन्ही ऑनलाईन पंजीकृत सूचियों में से मण्डल द्वारा किये गये रेण्डमाइजेशन के अनुसार बाह्य परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति संचालित डी.एल.एड.संस्थाओं के लिए संभाग के अंदर निकटवर्ती जिलों से की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में संयुक्त संचालक को बाह्य परीक्षकों के नियुक्ति आदेश परिवर्तन का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कारण सहित मण्डल मुख्यालय को देना अनिवार्य रहेगा।
3. एक बाह्य परीक्षक को अधिकतम 03 विद्यालय प्रायोगिक (अध्यापन अभ्यास) परीक्षा हेतु आवंटित किया जावे।
4. बाह्य परीक्षक को उनके कार्यरत जिले के स्थान पर संभाग के अन्य जिले में नियुक्त किया जावे।

निरंतर.....2

5. आंतरिक परीक्षा के अंक संबंधित संस्था एवं बाह्य मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन समन्वय संस्था के माध्यम से प्रेषित किए जाने हैं। अंक प्रेषण हेतु समन्वय संस्था को उपलब्ध कराए गए लॉगिन एवं पारावर्ड का उपयोग करें। इस लॉगिन एवं पासवर्ड से लॉगिन करने पर अंक प्रेषण हेतु उपलब्ध प्रारूप में अनुक्रमिक अंको की प्रविष्टि की जाए। अंको की प्रविष्टि उपरांत चेकलिस्ट प्रारूप में अंको का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

इस चेकलिस्ट का भलीभांति परीक्षण उपरांत अंको को लाक करे। ध्यान रहे अंतिम रूप से लाक करने के पश्चात अंको में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा ना ही इस संबंध में कोई परिवर्तन/त्रुटि संबंधि आवेदन मण्डल द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

6. संपूर्ण प्रविष्टि उपरांत अंको का प्रिंट आउट प्राप्त करें। इस प्रिंट आउट पर आंतरिक/बाह्य परीक्षक (जो लागू हो) एवं संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा लगा कर शील्ड लिफाफे में समन्वय संस्था में ही ऑन लाईन अंक की प्रविष्टि कराकर लिफाफा संस्था में जमा कर सुरक्षित रखे जावे। मण्डल को आवश्यकता होने पर समन्वय संस्था से प्राप्त किये जावेंगे। अंकों की हार्ड कॉपी मण्डल मुख्यालय प्रेषित नहीं की जाना है।

परीक्षा नियंत्रक

माध्यमिक शिक्षा मण्डल

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24/9/2022

पृष्ठांकन क्रमांक/गोपनीय-समन्वय/757/2022  
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
2. निज सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लिखा जाता है कि शासकीय शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याताओं को डाईट संस्थाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्ति के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
7. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि शासकीय शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याताओं को डाईट संस्थाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्ति के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
10. प्राचार्य समस्त जिला समन्वय संस्था, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सी.एस.ओ., माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वित्त कक्ष को संस्थावार छात्र संख्या की सूची उपलब्ध करवाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. विधि सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मुख्यालय से नियुक्त बाह्य परीक्षकों के टी.ए./डी.ए./पारिश्रमिक (6/- प्रति छात्र के मान से) का भुगतान पात्रतानुसार अपने कार्यालय से करना सुनिश्चित करें।
14. पंजीयक परीक्षा/सहायक सचिव, समस्त परीक्षा संभाग मा.शि.म. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पत्र की प्रति समस्त डी.एल.एड. संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को भिजवाए जाने हेतु।
15. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.भोपाल
16. संचालक एम.पी.ऑनलाइन, भोपाल, म.प्र.  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

माध्यमिक शिक्षा मण्डल

मध्यप्रदेश, भोपाल